कर्मचारी पेन्शन योजना 1995

सरकार की लापरवाही

सीआइटीयू प्रकाशन

कर्मचारी पेन्शन योजना 1995
और
सरकार की लापरवाही

परिचयः

जब लोग किसी रोजगार के द्वारा अपने लिए आय का अर्जन करने की स्थिति में नहीं रहते तब उनके लिए एक निश्चित आय को सुनिश्चित बनाने के लिए उन्हें पेन्शन दी जाती है और यह पेन्शन मूल रूप से सामाजिक सुरक्षा है। पेन्शन योजना के लिए भारत के मजदूर वर्ग की ओर से संघर्ष करने का इतिहास बहुत लम्बा है। सीआइटीयू पेन्शन योजना के लिए संघर्ष में सदा अग्रिम पंक्तियों में रहा है।

भारत में वृद्ध लोगों को आर्थिक वंचना की स्थिति में जाने से बचाने के लिए सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। भारत में सेवानिवृत्ति के लाभ एक अथवा दूसरे रूप में केवल 11 प्रतिशत कामकाजी जनता को नसीब होते हैं। सीआइटीयू की लगातार यही मांग रही है कि अंशदायी भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी के अतिरिक्त सेवानिवृत्ति के तीसरे लाभ के रूप में पेन्शन दी जाए। किन्तु सरकार की ओर से वर्तमान परिवार पेन्शन योजना 1971 के स्थान पर कर्मचारी पेन्शन योजना (ईपीएस 1995) के नाम से एक नयी योजना शुरू की गई और उसे 15 नवम्बर 1995 से लागू किया गया। यह योजना कर्मचारी भविष्य निधि के लिए कर्मचारियों के अंशदान के एक बड़े भाग को उसमें अर्थात् ईपीएस में डाल कर शुरू की गई जिसके चलते कर्मचारियों के भविष्य निधि लाभों को कम कर दिया गया और इसके लिए सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए पेन्शन के रूप में अत्यंत अल्प राशि का प्रावधान किया गया।

वर्तमान पेन्शन योजनाएं:

◆ <u>केन्द्रीय तथा राज्य सरकारी कर्मचारियों के लिए पेन्शन योजना</u>—पुरानी योजना में सरकार को कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में कुछ जमा नहीं करना होता था। इसके बदले में सरकारी कर्मचारियों को पारिभाषित "लाभ"

के रूप में सेवानिवृत्त होने पर पेन्शन मिलती थी जो उनके द्वारा लिए गए अंतिम वेतन के 50 प्रतिशत भाग के बराबर होती थी। इसके साथ ही उन्हें सेवा में रहने वाले कर्मचारियों को देय महंगाई भत्ता भी उसी दर पर जो उस समय लागू होती थी, दिया जाता था। कर्मचारी की समय से पहले मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति को पेन्शन देने का प्रावधान किया गया था। सरकार अपनी नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के एजेंडे को अमल में लाने के लिए पारिभाषित लाभ पर आधारित एक नयी पेन्शन योजना (एनपीएस) लागू करने पर बाध्य हुई है जो 1 जनवरी 2004 से प्रभावी हुई। 01–01–2004 के बाद सरकारी नौकरी में आने वाले सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना अनिवार्य बना दी गई है। इसके लिए एक सरकारी कर्मचारी को अपने मूल वेतन तथा महगाई भत्ते के दस प्रतिशत भाग का अंशदान देना होगा और यह अंशदान प्रत्येक मास उसके वेतन में से काट लिया जाएगा और सरकार उसके बराबर राशि का अंशदान उसमें करेगी। गैर सरकारी भविष्य निधि के मामले में लागू सरकार के दिशा निदेशों के अनुसार पेन्शन कोष का प्रबंधन करने वाले पेशेवर प्रबंधकों की ओर से इस परिसम्पत्ति का प्रबंधन किया जाता है।

60 वर्ष की आयु होने पर सेवा से मुक्त होने वाले कर्मचारी (अथवा इस योजना के सदस्य) को अपनी कुल जमा पेन्शन राशि के कम से कम 40 प्रतिशत भाग की वार्षिकी (एन्युइटी) खरीदनी होगी जो कर्मचारी तथा उस पर आश्रित माता–पिता और उसकी पत्नी/पति को सेवानिवृत्त होने पर आजीवन पेन्शन प्रदान करेगी। यदि योजना का सदस्य 60 वर्ष की आयु पूरी करने से पहले सेवा मुक्त हो जाता है तो उसे आइआरडीए द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित जीवन बीमा अधिकारी से आजीवन वार्षिकी खरीदने के लिए अपनी संचित बचतों के 80 प्रतिशत भाग का निवेश करना होगा। बाकी 60 अथवा 20 प्रतिशत राशि जैसा भी मामला होगा, को एकमुश्त वापस लिया जा सकेगा। यदि सदस्य की मृत्यु हो जाती है, नामांकिम व्यक्ति को पूरी पेन्शन राशि एकमुश्त लेने का विकल्प प्राप्त होगा। पेन्शन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) नयी पेन्शन योजना के लिए विवेकी नियामक होगा।

अतः नयी पेन्शन योजना में पेन्शन लाभ को परिभाषित नहीं किया गया है और न ही सरकार की ओर से गारंटी द गई है और यह योजना पूरी तरह बाजार द्वारा संचालित वार्षिकी योजना पर निर्भर करती है।

♦ **<u>औद्योगिक श्रमिकों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी पेन्शन योजना</u>** – भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम 1952 विषेश तौर पर औद्योगिक श्रमिकों सार्वजनिक तथा निजी दोनों क्षेत्रों, के लिए बनाया गया है। इस अधिनियम के अन्तर्गत एक कर्मचारी के वेतन में से 12 प्रतिशत की अनिवार्य कटौती (जो 22 जुलाई 1997 से प्रभावी हुई है; इससे पहले यह कटौती की दर 8.33 प्रतिशत थी) की जाती है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा संचालित इस निधि के लिए सेवायोजकों को इसके बराबर राशि का अंशदान करना होता है। यद्यपि इस अधिनियम की के पैरा 6(ए) के अनुसार नियत अवधि में एक पेन्शन योजना बनाने का प्रावधान था, फिर भी परिवार पेन्शन योजना (ईपीएस 1971) किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाने पर नामांकित पत्नी/पति को उसके संकट के दिनों में पेन्शन के रूप में थोड़ी राशि देने के लिए कोष जुटाने के उद्देश्य से वर्ष 1971 में यह योजना शुरू की गई थी।

इसके लिए कर्मचारी के वेतन में से 1.16 प्रतिशत के बराबर राशि तथा भविष्य निधि में सेवायोजक के अंशदान में से 1.16 प्रतिशत के बराबर राशि को सरकार के 1.16 प्रतिशत अंशदान के साथ पेन्शन निधि के खाते में डाल दिया गया था। सेवानिवृत्ति के बाद कुछ वापसी लाभों का प्रावधान किया गया था। कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 (ईपीएस 1995) के शुरू होने पर यह योजना 15 नवम्बर 1995 से वापस ले ली गई और ईपीएस 1971 के सदस्यों के लिए नयी योजना को अनिवार्य कर दिया गया। कर्मचारी भविष्य निधि के लिए सेवायोजक के अंशदान में से 8.33 प्रतिशत भाग नयी योजना के खाते में डालना होता है जबकि शेष 3.67 प्रतिशत भाग भविष्य निधि के खाते में जमा करा दिया जाता है।

पेन्शन निधि के लिए सरकार का अंशदान जस का तस अथवा वेतन का 1.16 प्रतिशत भाग बना हुआ है। इस तरह भविष्य निधि लाभों में भारी कमी कर दी गई और यह सब एक कर्मचारी के सेवा मुक्त होने अथवा उसकी विधवा तथा बच्चों को मिलने वाले भविष्य निधि लाभों के प्रावधान के मूल्य पर किया गया। यद्यपि इसके खिलाफ संघर्ष करने लिए श्रमिक आंदोलन एकजुट नहीं था इस पर भी देश भर में श्रमिकों के बीच व्यापक रोष एवं आक्रोष पैदा हो गया था।

केवल सीआइटीयू तथा कुछेक स्वतंत्र यूनियनों ने नयी योजना के खिलाफ देश भर में आंदोलन चलाया और विभिन्न यूनियनों की ओर से देश के विभिन्न भागों में इसके खिलाफ अदालतों में अनेक मामले दर्ज कराए गए। उन सभी मामलों को सुनवाई के लिए उच्चतम न्यायालय में तबदील किया गया था। यह सुनवाई मई 2001 में पूरी हुई किन्तु इस मुकद्दमें का फैसला लम्बे समय अर्थात् 30 मास तक सुनाया नहीं गया और जब सुनाया गया तो वह सरकार के पक्ष में था।

ईपीएस 1995–चौदह साल बाद की स्थिति

- यद्यपि योजना के अनुसार भविष्य निधि में सेवायोजक के अंशदान में से कर्मचारियों के वेतन के 8.33 प्रतिशत के बराबर राशि को पेन्शन निधि के खाते में डाल दिया गया है किन्तु असल में मासिक वेतन की ऊपरी सीमा को भी बनाए रखा गया है जो वर्तमान में 6500 रुपए है। पेन्शन निधि अथवा कोष के लिए इस दर पर अंशदान जमा होने से एक पेन्शनभोगी अधिक से अधिक कितनी पेन्शन हासिल कर सकता है अथवा पेन्शन की असल राशि कितनी होगी जिसे सेवानिवष्त होने वाला कर्मचारी इस समय प्राप्त कर रहा है। इस बात को अधोलिखित उदाहरण से समझा जा सकता है।
- उदाहरण 1– न्यूनतम पेन्शन हासिल करने के लिए एक कर्मचारी को 35 वर्ष तक योजना का सदस्य रहना होगा। दिनांक 15–11–1995 से प्रभावी इस पेन्शन योजना का सदस्य यदि पूरे 35 वर्ष रोजगार में रहता है तो वह पेन्शन फार्मूले = पेन्शन योग्य वेतनXपेन्शन योग्य सेवा/70 के अनुसार दिसम्बर 2030 से न्यूनतम पेन्शन पाने का हकदार होगा जो केवल 6500X35/70= 3235 रुपए होगी। वर्ष 2030 में इस अल्प राशि का मूल्य कितना होगा, और एक पेन्शन भोगी किस तरह इतनी अल्प राशि से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकेगा, इसका अनुमान सहज ही लगाया जा सकता है।
- उदाहरण 2– वर्ष 1995 से नव–उदारवादी आर्थिक नीतियों के लागू होने से निजी तथा सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों में लाखों कर्मचारी अपने–अपने रोजगार से हाथ धो बैठे हैं और उन्हें दी गई पेन्शन राहत केवल 265 तथा 1200 रुपए के बीच है।
- उदाहरण 3– वे कर्मचारी जो 30–35 वर्ष की सेवा के बाद हाल ही

में या यूं कहिए 2005 में सेवानिवृत्त हुए हैं उन्हें मुश्किल से 2000 रुपए की मासिक पेन्शन मिलेगी। यही है, इस पेन्शन योजना का असली चेहरा; औद्योगिक श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा देने के नाम पर जिसका ढिंढोरा बड़े जोरशोर से ढिंढोरा पीटा जा रहा है।

- बेतहाशा बढ़ती महंगाई ने पहले ही जन साधारण का जीना मुश्किल कर रखा है और औद्योगिक श्रमिकों की हालत तो बद से बदतर हो गई है जिन्हें सेवानिवृत्त होने के बाद मामूली सी पेन्शन राशि जिसे मूल्य सूचकांक/निर्वाह व्यय से जोड़ा नहीं गया, में गुजारा करना पड़ रहा है। क्योंकि ईपीएस–1995 को उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से जोड़ा नहीं गया। उनकी अल्प पेन्शन राशि वर्ष 2000 से जस की तस बनी हुई है और उससे पेन्शन भोगियों को कोई राहत नहीं मिल पा रही। आम तौर पर एक सेवानिवृत्त श्रमिक की ओर से बच्चों की शिक्षा अथवा उनकी शादियों अथवा अपने लिए एक छोटा मकान बनाने के उद्देश्य से भविष्य निधि तथा ग्रेच्युटी के माध्यम से पैसा हासिल किया जाता है। अब उसे जिस धन के बल पर अपनी गुजर बसर करनी है, वह उसे मिलने वाली पेन्शन है, यह पेन्शन राशि इतनी अल्प होती है कि एक परिवार उसके बल पर जीवित नहीं रह सकता।
- उच्चतम न्यायालय ने ईपीएस 1995 पर अपना फैसला देते समय योजना के अनेक पहलुओं पर निर्भर किया था।जिसमें एक तिहाई पेन्शन की गणना के प्रावधानों, पूंजी की वापसी की सुविधा, 50 वर्ष की आयु पूरी कर लेने पर भी कम पेन्शन की प्राप्ति, पेन्शन दरों में बढ़ोतरी करने के लिए प्रत्येक वर्ष पेन्शन कोष के मूल्यांकन के प्रावधान इत्यादि शामिल थे। जैसा कि हम जानते हैं उक्त फैसला 11 नवम्बर 2003 को सुनाया गया था और और उसके पांच वर्षो के भीतर स्थिति बदल भी गई जैसे...
- (क) योजना के पैरा 12(क) के अनुसार पेन्शन के एक तिहाई लाभ की गणना जिसके फलस्वरूप पेन्शन पाने वाले को मूल पेन्शन से 100 गुणा पेन्शन मिलने का प्रावधान किया गया था, को समाप्त कर दिया गया।
- (ख) पेन्शन भोगी की मृत्यु हो जाने पर उसकी विधवा/विधुर को योजना के पैरा 13(1), 13(2) तथा 13(3) के अनुसार अनुसार पूंजी की वापसी के रूप में मूल पेन्शन के 100 गुणा लाभ को एकतरफा तौर पर वापस ले लिया गया और

- (ग) योजना के पैरा 12(7) के अनुसार सेवानिवृत्त होने से पहले रोजगार खो देने वाले श्रमिक को उसकी मूल पेन्शन में 3 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से कमी करके पेन्शन लाभ देने की सुविधा थी। उसमें अब संशोधन करके 4 प्रतिशत कर दिया गया है। (क) तथा (ख) को समाप्त किया गया है जबकि (ग) को जीएसआर 688 (ई) दिनांक 26–9–2008 के अनुसार संशोधित किया गया है। पेन्शन की ऊपरी सीमा में संशोधन को सुगम बनाने के लिए कोष का वार्षिक मूल्यांकन होना चाहिए। यद्यपि यह काम प्रत्येक वर्ष किया जाना चाहिए किन्तु सरकारी आंकड़ों से पता चला है कि पिछले 14–15 वर्षों में केवल 8 बार मूल्यांकन किया है और पहले चार वर्षो में जिस दर से पेन्शन में बढ़ोतरी की गई थी वह इस प्रकार थीः 1) 16–11–1996– 4 प्रतिशत, 2) 31–3–1998– 5.5 प्रतिशत, 31–3–1999– 4 प्रतिशत, 31–3–2000– 4 प्रतिशत। अगले चार वर्ष के मूल्यांकन के लिए सरकार की ओर से अतिरिक्त धन का आबंटन नहीं किया गया और इस प्रकार पेन्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई।

यद्यपि उपरोक्त कदम उठा कर सरकार ने असल में इस योजना के अन्तर्गत पहले से परेशान हालत में रहने वाले श्रमिकों के पेन्शन लाभों में बढ़ोतरी करने की बजाए उसमें कमी ही की है।

योजना में बुनियादी दोषः

वर्तमान योजना अपनी अधोलिखि कमियों अथवा दोषों के कारण श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में विफल रही है। इन दोषों को तत्काल दूर किया जाना चाहिए।

- पेन्शन राशि अत्यंत अल्प है।
- पेन्शन कोष से मिलने योग्य अधिकतम राशि 6500 रुपए प्रति वर्ष है।
- कोष में सरकार का अपना अंशदान बहुत कम है।
- पेन्शन राशि को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं की गई।
- पेन्शन कोष का मूल्यांकन नियमित रूप से नहीं होता।
- गणना का लाभ वापस ले लिया गया है।
- कम की गई पेन्शन के लिए कटौती की प्रतिशतता को बढ़ा दिया गया है।

सरकार बचने का रास्ता तलाश रही है...

भविष्य निधि न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड की बैठकों में श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा संसद में वाम पक्षी सांसदों की ओर से बार–बार पेन्शनभोगियों के कष्टों एवं मुसीबतों की ओर सरकार का ध्यान खींचा जाता रहा है। श्रम पर स्थायी संसदीय समिति की ओर से फरवरी 2009 में संसद में पेश की गई अपनी 39वीं रिपोर्ट में यह मुद्दा उठाया गया था।

भारत सरकार की ओर से मार्च 2008 में ईपीएस 1995 की व्यापक समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। उस समिति से योजना के लाभार्थियों की मांगों को पूरा करने के लिए साधन जुटाने और हर सम्भव तरीके का पता लगाने के लिए कहा गया था ताकि योजना की दीर्घकालीन जीवनक्षमता को सुनिश्चित बनाया जा सके।

इसके बाद इस समिति की सिफारिश पर 12 जून 2009 को ईपीएस 95 पर विशेषज्ञों की एक समिति का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के विशेष सचिव थे। इस समिति में सेवायोजकों का एक प्रतिनिधि और श्रमिकों का एक प्रतिनिधि, एक बीमांकिक सलाहकार, एक मूल्यांकक सलाहकार और श्रम मंत्रालय एवं सीपीएफसी के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया था।

समिति ने 05 अगस्त, 2010 को अपनी रिपोर्ट सरकार को दे दी थी और उसमें निम्नलिखित दो सिफारिशें की गई थीं:

सिफारिश 1: भविष्य निधि एवं पेन्शन वार्षिकी योजना का परिचय– यह उपयुक्त बीमा के साथ मिश्रित एक परिभाषित योजना है। इसमें सुझाव दिया गया है कि प्रत्येक सदस्य के मामले में दो खाते रखे जाएं: एक भविष्य निधि अंशदान का खाता (पीएफसीए) तथा दूसरा वार्षिकी अंशदान का खाता (एसीए)। समिति ने सेवायोजक के अंशदान के 11.5 प्रतिशत भाग को पेन्शन निधि अथवा कोष में डालने और शेष 0.5 प्रतिशत को कर्मचारियों के जमा खाते से जुड़े बीमा कोष में डालने का सुझाव दिया था। ईपीएस में सरकार के वर्तमान अंशदान 1.16 प्रतिशत से बढ़ा कर 2 प्रतिशत करने का सुझाव दिया गया था, इस प्रकार पेन्शन निधि अथवा कोष में कुल अंशदान 13.5 प्रतिशत हो जाता है। जिन प्रतिष्ठानों में सेवायोजक और कर्मचारी का अंशदान 10 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है, उनके मामले में सेवायोजक के अंशदान में से 9.5 प्रतिशत भाग तथा कर्मचारी के अंशदान में से 2 प्रतिशत भाग को ईपीएस कोष में डालने के लिए कहा गया था।

समिति ने यह सुझाव भी दिया था कि योजना के अन्तर्गत कवरेज के लिए विधायी वेतन सीमा होनी चाहिए जिसके आधार पर अंशदानों की गणना हो और शुरू में यह वेतन सीमा 10,000 रुपए प्रति मास निर्धारित की जा सकती है। योजना के अन्तर्गत सदस्यों के भविष्य निधि लाभों को भविष्य निधि खाते (पीएफसीए) में से पूरा किया जाना चाहिए। वृद्धावस्था नियमित लाभ वार्षिकी अंशदान खाते में संचय के माध्यम से खरीदी गई वार्षिकी के रूप में सदस्यों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। सदस्य अपनी सेवानिवृत्ति के बाद ही यह लाभ ले सकेगा। सदस्य की समय से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसका आश्रित पीएफसीए में संचित राशि तथा वार्षिकी अंशदान खाते में संचित राशि में से क्रय वार्षिकी हासिल करने का पात्र होगा। इसके अतिरिक्त आश्रित वार्षिकी की खरीद के लिए ईडीएलआई में से एकमुश्त राशि हासिल कर सकेगा। 01 अप्रैल 2011 की कट ऑफ तिथि में जो पेन्शनभोगी होंगे उन्हें उनकी आयु तथा पेन्शन भोगी की पेन्शन राशि के अनुसार एकमुश्त मुआवजा दिया जाएगा।

सिफारिश 2: वर्तमान कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 में सुधार – पेन्शन भोगियों की सभी कोटियों के लिए न्यूनतम पेन्शन 1,000 रुपए पर आधारित लाभों के पैकेज को यकीनी बनाने और 3 प्रतिशत की वार्षिक राहत का प्रावधान करने के लिए वर्तमान योजना में अधोलिखित सुधार लाने व संशोधन करने के सुझाव दिए जाते हैं:

क) वेतन सीमा को 6500 रुपए से बढा कर 10,000 रुपए प्रति मास कर दिया जाए।

ख) सेवायोजक के पूरे अंशदान 12 प्रतिशत अथवा उसके 10 प्रतिशत भाग को जैसा भी मामला हो, पेन्शन निधि अथवा कोष में डाल दिया जाए। पेन्शन कोष में सरकार के अंशदान को वर्तमान 1.16 प्रतिशत से बढा कर 2.75 प्रतिशत करने का सुझाव दिया जाता है और इस तरह पेन्शन कोष अथवा निधि के लिए कुल अंशदान 14.75 प्रतिशत हो जाएगा। जिन प्रतिष्ठानों में सेवायोजक तथा कर्मचारी का अंशदान 10 प्रतिशत तक सीमित रखा गया है उनके मामले में सेवायोजक के 10 प्रतिशत अंशदान और कर्मचारी के 2 प्रतिशत अंशदान को पेन्शन कोष अथवा निधि के खाते में डाल दिय जाए।

ग) पेन्शनयोग्य वेतन की गणना वर्तमान एक साल की जगह पिछले तीन साल की सेवा के अनुपात के रूप में की जाए।

घ) वापसी का विकल्प समाप्त कर दिया जाए।

ङ) दो साल का बोनस न दिया जाए।

च) नामांकित व्यक्ति को पेन्शन न दी जाए।

छ) सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ा कर 60 वर्ष कर दी जाए।

ज) समय से पूर्व पेन्शन पाने की आयु सीमा 50 वर्ष से बढ़ा कर 55 वर्ष कर दी जाए।

हमारा आक्रोश और असहमति किस बात को लेकर है?

सीआइटीयू ने इन सिफारिषों की जोरदार शब्दों में भर्त्सना की है और इस पर अपना आक्रोष व्यक्त किया है। उसने न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड के अध्यक्ष को एक विस्तृत पत्र भेज कर पेन्शन जैसी सामाजिक सुरक्षा योजना को मजबूत बनाने की अपनी जिम्मेदारी से बचने की सरकार की नीयत के खिलाफ अपना रोष एवं आक्रोष व्यक्त किया है। सीआइटीयू ने मांग की है कि समिति की सिफारिशों को रद्द कर दिया जाए और सरकार तथा सेवायोजक कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 को और जीवनक्षम बनाने के लिए और अधिक अंशदान दें। सीआइटीयू की ओर से श्रम मंत्री तथा सीटीबी के चेयरमैन को भेजे गए नोट के विशेष बिन्दु इस प्रकार हैं:

1. अनेक यूनियनों तथा कुछ सेवायोजकों की ओर से देश के विभिन्न भागों में इसके खिलाफ अदालतों में मामले दर्ज कराए गए। इस मामले को विशेष अनुमति याचिकाओं के माध्यम से उच्चतम न्यायालय में तबदील किया गया।

सोलिसिटी जनरल की ओर से सभी विशेष अनुमति याचिकाओं के खिलाफ हलफनाम दायर करके योजना के सभी उपबंधों पर न्यायिक स्वीकृति मांगी गई और इसकी सुनवाई करने वाली पीठ ने योजना के लाभों के काल्पनिक पहलुओं पर निर्भर करते हुए विचार व्यक्त किया था कि "यह एक अच्छी योजना है।" इस प्रकार ईपीएस 1995 को शीर्ष न्यायालय का अनुमोदन भी हासिल हो गया और सभी विशेष अनुमति याचिकाओं को रद्द कर दिया गया।

इसलिए योजना के किसी भी लाभ को वापस लेने से पहले उच्चतम न्यायालय की स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य हो गया है। तथापि 26 सितम्बर

2008 से विकल्प का प्रयोग करके पेन्शन के संचय तथा पूंजी की वापसी के लाभ को वापस ले लिया गया था अथवा खत्म कर दिया गया था। इसी प्रकार जो कर्मचारी समय से पहले पेन्शन पाने का विकल्प चुनते हैं उनके मामले में उसी तिथि से कटौती की दर को 3 प्रतिशत से बढ़ा कर 4 प्रतिशत कर दिया गया। मूल योजना अर्थात् ईपीएस 1995 के किसी भी लाभ अथवा कटौती का उच्चतम न्यायालय ने अनुमोदन किया था इसलिए उसे वापस लेने अथवा उसमें संशोधन करने का अंतिम फैसला उच्चतम न्यायालय की अनुमति लिए बिना अथवा उस पर नए सिरे से कानून बनाए बिना नहीं किया जा सकता। इसलिए लाभों की वापसी के लिए उठाए गए सभी कदमों को खारिज कर दिया जाना चाहिए।

2. विशेषज्ञ समिति का अध्ययन तथा उसकी ओर से की गई सिफारिशें बहुत ही दोषपूर्ण हैं और उन पर निर्भर नहीं किया जा सकता क्योंकि उसका सैम्पल साईज "छोटा" तो है पर उसमें सभी पहलुओं को समेटा नहीं गया। यह केवल 5.4 प्रतिशत सदस्यों के लिए है। योजना में बदलाव लाने और विशेष तौर पर उस समय जब यह बदलाव मूल प्रकृति से सम्बन्ध रखता हो, के लिए किसी भी सिफारिश का प्रमाणन वास्तविक आंकड़ों की सहायता से करना चाहिए न कि एक छोटे "नमूना आकार" पर आधारित अवधारणा के अनुसार।

3. विषेशज्ञ समिति ने पाया है कि ईपीएफ की कुल सदस्य संख्या 4.45 करोड़ में से केवल 24.39 लाख सदस्य जो मात्र 5.5 प्रतिशत हैं, के बारे में प्राप्त सूचना ही पूर्ण तथा स्थायी हैं अतः निम्नलिखित प्रश्न उत्पन्न होते हैं:

क) यह स्पष्ट करना होगा कि "अपूर्ण" का अर्थ क्या है। अपूर्ण रिकार्ड के मामले में अनेकानेक सम्भावनाएं हो सकती हैं अर्थात्:–

- नाम तो दर्ज किए गए हैं किन्तु ईपीएफ तथा ईपीएस–95 के दोनों खातों में अथवा केवल ईपीएस–1995 के खाते में अंशदान जमा नहीं कराए गए।
- ईपीएफ खाते में नाम दर्ज किए गए हैं किन्तु ईपीएस–95 के खाते में नहीं। कर्मचारियों के अंशदान जमा कराए गए हैं किन्तु सेवायोजकों के अंशदान ईपीएस–95 के खाते में नहीं आ रहे।
- दोनों निधियों में सेवायोजकों के अंशदान तो जमा कराए जा रहे हैं किन्तु उनके समुचित दस्तावेज नहीं हैं और इसलिए ये खाते अपूर्ण रख दिए जाते हैं।

ख) इसी प्रकार शब्द "निरंतर" को पारिभाषित करना होगा और अनिरंतरताओं की प्रकृति को खोल कर समझाना होगा।

ग) ईपीएफओ की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2008–09 में चूककर्ता प्रतिष्ठानों की संख्या 79,509 थी और पैसे की दृष्टि से भविष्य निधि में 2,206.99 करोड़ रुपए की राशि और पेन्शन निधि में 771.66 करोड़ रुपए की राशि जमा नहीं हुई थी।

नियमों के अनुसार अंशदान जमा न कराने वाले प्रतिष्ठान धड़ल्ले से चल रहे हैं और उन्हें उनके कुसूर की कोई सजा नहीं दी गई। उदाहरण के लिए मैसर्ज हिरांदानी प्रापर्टीज लिमिटेड का नाम लिया जा सकता है। हिरांदानी भाईयों तथा आठ अन्यों ने भविष्य निधि में 168 करोड़ जमा न करा कर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के साथ धोखाधड़ी की है; अंशदानों की यह राशि हिरांदानी समूह की विभिन्न परियोजनाओं में ठेकेदारों के माध्यम से काम करने वाले श्रमिकों की थी; उन्होंने भविष्य निधि बकाया के रूप में केवल 2.92 करोड़ रुपए की मामूली राशि जमा कराई और गैर कानूनी तौर पर इस मामले को बंद कर दिया। इस पर भी मालिकों को पेशगी जमानत मिल गई है और उन्होंनें बेनामी ठेकेदारों पर पूरी जिम्मेदारी डाल कर इस पूरे मामले से खुद को अलग कर लिया है। इस प्रकार की स्थिति में सरकार की ओर से चूककर्ता सेवायोजकों द्वारा दिए जाने वाले जुर्माने की राशि में जबरदस्त कमी कर दी गई और इस तरह चूककर्ता सेवायोजकों को और गुनाह करते चले जाने की शह दी जा रही है।

उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए विशेषज्ञ समिति द्वारा इस तरह के आंकड़ों तथा सदस्यता पर की गई सिफारिश ईपीएस–95 की धारणीयता तथा/अथवा उसकी कमियों का पता लगाने के लिए विश्वसनीय आधार नहीं बन सकती।

4. वार्षिकी योजना में तबदील करने के लिए की गई सिफारिशें:

क) वार्षिकी योजना का विचार ईपीएफओ/सरकार को कर्मचारियों तथा उनके परिजनों के लिए पेन्शन प्रदान करने की जिम्मेदारी से मुक्त कर देता है। ईपीएफओ केवल ईपीएस–95 के अन्तर्गत दिए गए अंशदान की देखभाल करने वाला संगठन मात्र बन कर रह जाएगा।

ख) इसके अनुपालन में सुधार होगा और सेवायोजक उत्साह के साथ वार्षिकी योजना के अन्तर्गत अपने कर्मचारियों के नाम रजिस्टर कराएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है।

ग) किसी कर्मचारी की समय से पूर्व मृत्यु हो जाने की स्थिति में वार्षिकी योजना से कोई लाभ नहीं मिलता और न कोई उद्देश्य पूरा होता है।

घ) वार्षिकी कोष का प्रबंधन अधिकारी की ओर से कोश/निधि का घोर दुरुपयोग किया जाएगा क्योंकि उसके ऊपर कोई रोक टोक करने वाला नहीं होगा और यह प्रश्न सदा उभर कर सामने आता रहेगा – यदि ईपीएफओ ही अपनी भूमिका समाप्त करना चाहेगा तो उस स्थिति में कर्मचारी क्यों ईपीएफओ के माध्यम से वार्षिकी योजना का विकल्प लेंगे? इस व्यवस्था में पूरी देनदारी ईपीएफओ की होती है किन्तु कोष/निधि के प्रशासन और उसके साथ जुड़े कोष प्रबंधन के सभी खतरों को देखने का काम औरों के हाथ में होगा जिन पर बहुत कम नियंत्रण होगा।

कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 की परिकल्पना सामाजिक सुरक्षा लाभों की परिभाशित योजना के रूप में की गई थी। यदि यह कसौटी बनी नहीं रहती और वार्शिकी योजना को चलाने का काम बाजार की ताकतों के हाथ में आ जाता है तो इस रूप में यह योजना स्वीकार नहीं की जा सकती।

5. वर्तमान ईपीएस–95 में सुधार लाने के लिए की गई सिफारिश

क) वेतन सीमा बढ़ा कर 10,000 रुपए अथवा 15,000 रुपए तक करने का अर्थ एक सदस्य के निजी पीएफ खाते में से राशि निकाल कर ईपीएस–95 के खाते में डालना है।

इससे केवल श्रमिकों का भविष्य निधि धन पेन्शन निधि में चला जाएगा, भविष्य निधि में जो लाभ श्रमिक को मिलता था, वह कम हो जाएगा और पेन्शन में भी पर्याप्त बढ़ोतरी नहीं होगी।

ख) यही नहीं, उच्च वेतन पाने वाले श्रमिकों की संख्या निरंतर घट रही है, उनका स्थान कम वेतन पाने वाले श्रमिक तथा आउटसोर्सिंग के माध्यम से काम करने वाले श्रमिक लेते चले जा रहे हैं। इसलिए, उच्च वेतन पाने वाले श्रमिकों द्वारा यह "सबसिडी" समय के साथ उतरोत्तर कम होती चली

जाएगी। अतः वेतन सीमा में सामयिक संशोधन का ईपीएफ–95 के वित्त पर बहुत कम प्रभाव पड़ेगा किन्तु पूरी ईपीएफ प्रणाली पर इसका विनाशकारी दुष्प्रभाव पड़ सकता है क्योंकि उच्चतर वेतन पाने वाले कर्मचारियों की ओर से व्यापक स्तर पर ईपीएफ–95 को छोड़ा जा सकता है। यह पूरी प्रक्रिया नुकसानदेह साबित होगी।

ग) यह पूरी कार्रवाई यह दर्शाती है कि जहां अपने 1.16 प्रतिशत अंशदान में बढ़ोतरी करने का सरकार का कोई इरादा नहीं है वहीं उसके द्वारा कर्मचारियों के सामाजिक लाभ के लिए सेवायोजकों से कुछ और अंशदान के लिए कहे जाने की भी सम्भावना नहीं है। भविष्य निधि तथा पेन्शन कोष/निधि के लिए सामूहिक रूप में सेवायोजकों का अंशदान निश्चल (जस का तस) बना रहेगा और अब 12 प्रतिशत के पूरे अंशदान को पेन्शन निधि/कोष में डाल देने का विशेषज्ञ समिति के सुझाव का अर्थ सदस्यों के भविष्य निधि में संचित धन की और लूट मचाना है। सेवायोजकों के अंशदान 8.33 प्रतिशत को पीएफ से निकाल कर ईपीएफ–95 में डाल दिए जाने से भविष्य निधि लाभ पर पहले ही भारी दबाव में हैं और यदि उसमें से कुछ और अंशदान निकाला जाता है तो सदस्यों के कष्ट और मुसीबतें बढ़ जाएंगी और इस तरह की स्थिति को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

घ) वर्तमान पेन्शन भोगियों के लिए पेन्शन संशोधन के बारे में इस सिफारिश में एक शब्द तक नहीं कहा गया जबकि उन्होंने अपनी सिफारिश संख्या 1 में सुझाव दिया है कि कट–ऑफ तिथि (कहिए 1 अप्रैल 2011) पर जो पेन्शन भोगी होंगे उन्हें उनकी आयु तथा पेन्शन भोगी की पेन्शन राशि के अनुरूप एकमुश्त मुआवजा राशि दी जाएगी। 31 मार्च 2008 को पेन्शन पाने वाले पेन्शन भोगियों की संख्या नीचे बाक्स में दी गई है और यह संख्या स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि उनकी पेन्शन राशि कितनी अल्प है।

पेन्शन राशि प्रति मास	पेन्शनभोगियों की संख्या
300 रुपए तक	1,82,790
301–400 रुपए के बीच	2,26,807
401–500 रुपए के बीच	2,43,654
501–1000 रुपए के बीच	8,66,705

जहां 31 मार्च 2008 को पेन्शन भोगियों की संख्या 18,05,012 थी वहीं

6,53,251 पेन्शन भोगी 500 रुपए से भी कम पेन्शन पा रहे थे। दूसरे शब्दों में एक तिहाई पेन्शन भोगी 500 रुपए अथवा उससे भी कम दर पर मासिक पेन्शन पा रहे थे। इसी प्रकार 1000 रुपए से कम पेन्शन पाने वाले पेन्शन भोगियों की संख्या 15,1995 थी जो पेन्शन भोगियों की कुल संख्या का 84 प्रतिशत बनती है। इसलिए सभी पुराने तथा वर्तमान पेन्शन भोगियों की न्यूनतम पेन्शन बढ़ा कर उस स्तर तक लाने की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें उनका निर्वाह अच्छी तरह हो सके।

निष्कर्ष –

❖ ईपीएस–95 में जमा सभी अंशदानों का "पूरा" तथा "स्थायी" रिकार्ड बनाए रखने के लिए तत्काल फास्ट ट्रैक तंत्र की स्थापना की जाए।

❖ सरकार तथा सम्बन्धित सेवायोजकों में एक रुझान देखने को मिलता है; वे यह प्रचार करते नहीं थकते कि ईपीएस–95 में सेवायोजकों का पूरा अंशदान जमा होता है किन्तु यह बात पूरी तरह सत्य नहीं है। वर्ष 1951 के दौरान जब पहली बार कर्मचारी भविष्य निधि योजना शुरू की गई थी तब एक समान दर पर कर्मचारियों तथा सेवायोजकों का अंशदान भविष्य निधि खाते में जमा होता था। ईपीएस 1971 शुरू होने पर और उस समय श्रमिक आंदोलन के आपत्ति जताने पर भी कर्मचारियों तथा सेवायोजकों के 1.16 प्रतिशत अंशदान को परिवार पेन्शन योजना के खाते में डाल दिया गया था। ईपीएस–95 के मामले में भी एक बार फिर से घोर प्रतिरोध होने पर भी सरकार ने भविष्य निधि में सेवायोजकों के भाग 8.33 प्रतिशत को पेन्शन निधि में डाल दिया था। इसलिए ऐतिहासिक तौर पर इसे सेवायोजकों का भाग नहीं माना जा सकता। अंशदान को केवल एक खाते से निकाल कर दूसरे खाते में डाला गया है। इसलिए जरूरी हो जाता है कि इस योजना को और मजबूत बनाने के लिए सेवायोजकों की ओर से भी सार्थक अंशदान पेन्शन निधि में डाला जाए।

❖ जिन प्रतिष्ठानों ने अपने हिस्से के अंशदान जमा नहीं कराए हैं, उनसे पिछली बकाया राशियों की वसूली करके भी इस योजना को मजबूत बनाया जा सकता है। चूककर्ता प्रतिष्ठानों को कठोर दण्ड देने का प्रावधान भी होना चाहिए। जो अधिकारी चूककर्ता प्रतिष्ठानों के साथ मिलीभुगत करते हैं अथवा

इस मामले में उनसे मिले रहते हैं, उनकी पहचान की जाए तथा उन्हें कठोर दण्ड दिया जाए।

❖सभी कर्मचारियों को स्पष्ट हो गया है कि कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 श्रमिकों के लाभ में कदापि नहीं है। पारिभाषित लाभों के मूल ढांचे में ही ईपीएफ अंशदानों की वर्तमान दर से छेड़छाड़ किए बिना और इसके साथ–साथ वेतन सीमा को बढ़ा कर ईपीएस–95 को श्रमिकों के लिए लाभदायक बनाया जा सकता है। वापस लिए गए/समाप्त किए गए सभी लाभ तत्काल बहाल किया जाए जैसे पूंजी की वापसी का लाभ, पेन्शन की गणना तथा समय से पूर्व पेन्शन पाने की स्थिति में कटौती की बढ़ी दर इत्यादि। श्रम सम्बन्धी स्थायी संसदीय समिति ने भी अपनी 39वीं रिपोर्ट में अंशदानों की दर सम्बन्धी फार्मूले को निश्चित अंतराल में संशोधित करते रहने की जोरदार सिफारिश की थी जिसमें सरकार के अंशदान की दर उस दर से कम से कम आधी निर्धारित की जाए जिस दर पर सेवायोजकों द्वारा अंशदान दिया जाता है। इस समिति ने भी वापस लिए गए/ समाप्त किए गए लाभों को तत्काल बहाल करने की सिफारिश की थी। सीआइटीयू मांग करता है कि इस सिफारिश के अनुरूप सरकार/सेवायोजक अपना–अपना अंशदान बढ़ा कर कम से कम 6 प्रतिशत करें।

❖निवेशों पर ब्याज की वापसी की दर लगभग 7.5–8.0 प्रतिशत होगी, इसकें आधार पर ही विशेषज्ञ समिति ने अपनी गणना का आधार निश्चित किया है। आर्थिक मंदी के परिदृश्य में ब्याज की बाजार दरें किसी भी स्तर तक गिर सकती हैं जैसा कि हम जानते हैं कि अमरीका में इन दरों में 1 प्रतिशत तथा जापान में 0.5 प्रतिशत की गिरावट आई थी और प्रतिष्ठानों के अपने अंशदान जमा न कराए जाने के भी कुछ मामले सामने आए हैं। इस पर भी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं चलाई जा रही हैं क्योंकि सरकारों के अंशदानों ने इन योजनाओं को धारणीय बनाए रखा है। **सभी श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजना होनी चाहिए। इस बारे में सरकार को कोई फैसला जरूर करना होगा। यदि सरकार चाहती है कि इस तरह की सामाजिक सुरक्षा हो तब 1.16 प्रतिशत के मामूली अंशदान तथा जमा राशियों पर बाजार से कमाए गए ब्याज के बल पर यह योजना बनाई नहीं जा सकती। मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा के**

पर्याप्त लाभ प्रदान करने की इस सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए सरकार को आगे आना होगा। श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक मंदी के कारण श्रमिकों की हालत बहुत खस्ता हो गई है इसी लिए अनेक सरकारों, आइएलओ तथा यहां तक कि कुछ निगमों ने भी इसे प्राथमिकता दी है। भारत सरकार केवल यह कह कर अपना पीछा नहीं छुड़ा सकती कि हम इसके लिए 1.16 प्रतिशत का अंशदान देंगे और बाकी की रकम का प्रबंध आप खुद कीजिए। बीमांकक इस मामले में क्या कर सकते हैं क्योंकि यह प्रश्न गणितीय गणना का नहीं अपितु सरकार द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख नीतिगत फैसले का है।

तथाकथित विशेषज्ञ समिति के नाम पर कार्रवाई करके सरकार ने वास्तव में कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 को कमजोर बनाने का काम ही किया है जो कर्मचारियों के लिए बेहद अलाभकारी है। सरकार "परिभाषित लाभ" की इस योजना को "परिभाषित अंशदान" की योजना के रूप में बदलने के लिए तत्पर है और इसे एक उदाहरण बना देना चाहती है। उसकी ओर से इस तरह की कार्रवाई किए जाने के चलते श्रमिक बाजार की शक्तियों की दया पर निर्भर करने लगेंगे और उन्हें अपनी पेन्शन खरीदने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसके विपरीत सरकार उन लोगों जो न केवल राष्ट्रीय सम्पदा का निर्माण करते हैं अपितु सेवायोजकों के लिए मुनाफा भी कमाते हैं, को न्यूनतम सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने की अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से बड़ी आसानी से अपना पीछा छुड़ा लेगी। तीसरे, यह पूरी कार्रवाई सेवायोजकों के अंशदान को भविष्य निधि में से निकाल कर पेन्शन कोष में डालने के माध्यम से उनके अंशदान में कमी लाने के लिए भी की जा रही है। यह काम भी वार्षिकी के रास्ते कोष को बाजार में लगाने के लिए किया जा रहा है जहां पूंजी की वापसी अनिश्चित/अपरिभाषित है।

इसलिए इस योजना को श्रमिकों के लिए वास्तव में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने लायक बनाने के लिए सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों को एम मजबूत देशव्यापी आंदोलन चलाना होगा ताकि सरकार/सेवायोजकों को योजना में अपने अंशदान बढ़ाने पर मजबूर किया जा सके जो ईपीएस–1995 को उसके वर्तमान स्वरूप में मजबूत बनाने के लिए जरूरी है। □